देवकर्म में आशौच अथवा सूतक होने पर कर्तव्य विचार

यज्ञमें मधुपर्कके बाद, व्रत और सत्र (बहुत दिनोंमें होनेवाला जप-यज्ञादि) में सङ्कल्पके बाद, विवाहमें नान्दीश्राद्धके बाद, श्राद्धमें पाकारम्भ होनेपर आशौच (जननाशौच और मरणाशौच) की प्रवृत्ति तत्तत्कर्मके लिये नहीं होती, किन्तु व्यवहार में अस्पृश्यत्व और कर्मान्तर में अनधिकार होता है।

'व्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, पूजन और जपका आरम्भ होनेपर सूतक नहीं लगता, यदि इनका आरम्भ न हुआ हो तो सूतक लगता है। वरण. होनेपर यज्ञका आरम्भ है, व्रत और सत्र (बहुत

दिनोंमें पूर्ण होनेवाले जप-यज्ञादि) संकल्प होनेपर आरम्भ माना जाता है, विवाह आदिमें नान्दीश्राद्ध (आभ्युदयिक श्राद्ध) आरम्भ माना जाता है और श्राद्धमें पाकप्रक्रिया आरम्भ है-

व्रत-यज्ञ-विवाहेषु श्राद्ध होमेऽर्चने जपे।

आरब्धे सूतकं न स्यादनारब्धे तु सूतकम् ॥

प्रारम्भो वरणं यज्ञे सङ्कल्पो व्रतसत्रयोः।

नान्दीश्राद्धं विवाहादौ श्राद्ध पाकपरिक्रिया ॥

(लघुविष्णुः)

'यजमानके द्वारा ऋत्विक् यदि मधुपर्क ग्रहण कर ले, तो आशौच उपस्थित होनेपर उसे आशौचजन्य दोष नहीं लगता, यह निश्चित है'-

गृहीतमधुपर्कस्य यजमानाञ्च ऋत्विजः।

पश्चादशौचे पतिते न भवेदिति निश्चयः ।।

(ब्रह्मपुराण)

'ऋत्विज, यज्ञमें दीक्षित, यज्ञिय कर्म करनेवाले, दीर्घ सत्रका अनुष्ठान करनेवाले, कृच्छ, चान्द्रायण प्रभृति व्रतमें तत्पर रहने वाले, ब्रह्मचारी, दानी और ब्रह्मज्ञानी-ये तत्काल शुद्ध हो जाते हैं दानमें, विवाहमें, यज्ञमें, संग्राममें, देश-विप्लवमें और बहुत बड़ी आपत्ति आनेपर सद्यः शौचसे शुद्धि हो जाती है'-

ऋत्विजां दीक्षितानां च यज्ञियं कर्म कुर्वताम्।

सत्रिवतिब्रह्मचारिदातृब्रह्मविदां तथा ॥

दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविप्लवे।

आपद्यपि हि कष्टायां सद्यःशौचं विधीयते ।।

(याज्ञवल्क्यस्मृति, प्राय ० २८,२६)

'ऋत्विजोंको, यजमानको, यजमानकी स्त्रीको

और आचार्यको कर्मके मध्यमें जनन अथवा मरणका आशौच नहीं लगता, किन्तु कर्मकी पूर्ति होनेपर ही उन्हें आशौच लगता है'-

ऋत्विजां यजमानस्य तत्पत्न्या देशिकस्य च।

कर्ममध्ये तु नाशौचमन्त एव तु तद्भवेत् ।।

(अत्रिसंहिता ६५, ९ ६)

'यज्ञमें और विवाहके अवसरमें तत्काल शुद्धि होती है। विवाहोत्सव तथा यज्ञ आदिके मध्यमें यदि जननाशौच या मरणाशौचका प्रसंग आ जाय, तो पूर्व संकल्पित यज्ञादिमें कोई विघ्न नहीं उपस्थित होता, ऐसा अत्रि मुनिजीका कथन है'-

यज्ञे विवाहकाले च सद्यः शौचं विधीयते।

विवाहोत्सवयज्ञेषु अन्तरा मृतसूतके।

पूर्वसङ्कल्पितार्थस्य न दोषश्चात्रिरब्रवीत्।

'यज्ञ, विवाह, देवयाग, दुर्भिक्ष तथा उपद्रव-विशेषमें यदि आशौच उपस्थित हो जाय, तो तत्काल शुद्धि हो जाती है'-

यज्ञे विवाहकाले च देवयागे तथैव च।

सद्यःशौचं समाख्यातं दुर्भिक्षे वाप्युपद्रवे ॥

(उशनःसंहिता ६।५८)

(दक्षस्मृति ६।१६,२०)

'यज्ञ हो रहा हो ऐसे प्रसंगमें यदि जननाशीच अथवा मरणाशौच हो जाय, तो पूर्व संकल्पित यज्ञादि कर्म में कोई दोष नहीं होता। जब यज्ञकृत्य हो रहा हो, विवाह हो रहा हो और देवयाग हो रहा हो तथा अग्निमें आहुतियाँ गिर रही हों, ऐसे अवसर पर न तो जननाशीच होता है और न मरणाशीच ही होता है'-

यज्ञे प्रवर्तमाने तु जायेताथ म्रियेत वा।
पूर्वसङ्कल्पिते कार्य न दोषस्तत्र विद्यते ।।
यज्ञकाले विवाहे च देवयागे तथैव च।
हुयमाने तथा चाग्नौ नाशौचं नापि सूतकम् ॥

'विवाह, उत्सव और यज्ञमें यदि मरण निमित्त आशौच और जनन (जन्म) निमित्त सूतक हो जाय, तो तत्काल शुद्धि हो जाती है. अतः पूर्व सङ्कल्पित कर्म करना चाहिये। देवद्रोण (तीर्थ अथवा प्याऊ), विवाह और बड़े यज्ञोंमें निर्मित अन्नादिमें मरण एवं जननिमित्त आशौच नहीं लगता है'-

विवाहोत्सवयज्ञेषु अन्तरा मृतसूतके।
सद्यःशुद्धि विजानीयात् पूर्वसङ्कल्पितं चरेत् ।।

देवद्रोण्यां विवाहे च यज्ञेषु प्रततेषु च।

कल्पितं सिद्धमन्नाद्यं नाशौचं मृतसूतके।

(आपस्तम्बस्मृति १०।१५, १६)

'नित्य अन्नदान में, कृच्छ, चान्द्रायण आदि व्रत करनेमें, कृच्छ्र होमादि कर्मके निष्पन्न होने पर ब्राह्मणादिके भोजन करानेमें एवं किसी भी नियमके ग्रहण करने में तथा अन्य सी नियम-विशेषके ग्रहण करने में, ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करने में, श्राद्धकर्मके प्रारम्भ करनेमें, ब्राह्मणोंके वेदादिके स्वाध्यायके निरत होने में और पितृकार्यमें निरत रहनेमें आशौच नहीं लगता है'-

नित्यमन्नप्रदस्यापि कृच्छ्रचान्द्रायणादिषु।

निवृत्ते कृच्छहोमादौ ब्राह्मणादिषु भोजने ॥

गृहीतनियमस्यापि न स्यादन्यस्य कस्यचित्।

म निमन्त्रितेषु विप्रेषु प्रारब्धे श्राद्धकर्मणि ॥

निमन्त्रितस्य विप्रस्य स्वाध्यायादि-रतस्य च।

, देहे पितृषु तिष्ठत्सु नाशौचं विद्यते क्वचित् ।।

(याज्ञवल्क्यस्मृतौ (३।२८,२६) मिताक्षरायाम्)

'विवाह, भयस्थान, यज्ञ, यात्रा और तीर्थयात्रामें सूतक नहीं लगता। अतः इनमें यज्ञादि कर्म कराना चाहिये'-

विवाह-दुर्ग-यशेषु यात्रायां तीर्थकर्मणि।

न तत्र सूतकं तद्वत् कर्म यचादि कारयेत्।

(पैठीनसीस्मृति)

'देवताको प्रतिष्ठा, तडागोत्सर्ग एवं वृषोत्सर्गादिमें और विवाह तथा देशविप्लव, आपत्ति और रोगादिमें आशौच नहीं लगता है'-

'न देवप्रतिष्ठोत्सर्गविवाहेषु न देशविभ्रमे नापद्यपि

च कष्टायामाशौचम्।' (विष्णुस्मृति)

'राजाओंको राजकर्ममें, व्रत करनेवालोंको व्रतमें, बहुत दिनोंमें पूर्ण होनेवाले यज्ञोंके करनेवालोंके यज्ञमें और वर्गसङ्कर (उच्च वर्णकी स्त्रीमें हीनवर्णसे उत्पन्न होनेवाले) को आशौच नहीं लगता है'-

'न राज्ञां राजकर्मणि, न व्रतिनां व्रते, न सत्रिणां सत्रे, न कारूणां कारुकर्मणि' इति। (विष्णुः)

निष्कर्ष यह है कि यज्ञादिमें वृत ब्राह्मणोंके लिये आशौचका अभाव केवल नियत कर्म-विशेषमें ही होता है, न कि कर्ममात्रमें।

अतः आशौचमें यज्ञादि कार्योंको छोड़कर अन्य धार्मिक कार्य करनेका अधिकार व्रत ब्राह्मणोंको नहीं है।